वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 10.06.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला,आज, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 10.06.2025

गंजारी स्टेडियम के पास टाउनशिप बसाएगा वीडीए, बैठक में मंजूरी

वीडीए की 133वीं बोर्ड बैठक में अर्बन टाउनशिप परियोजना को दी गई स्वीकृति

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण गंजारी स्टेडियम के पास अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अर्बन टाउनशिप बसाएगा। मंडलायुक्त एस राजलिंगम की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अब इसे शासन को भेजा जाएगा।

मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने बताया कि शासन से मंजूरी मिलते ही टाउनशिप बसाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें आवासीय इलाके, कार्यस्थल, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर और मनोरंजन क्षेत्र जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इसके साथ ही फ्लैट, अपार्टमेंट, बंगले और विला भी विकसित किए जाएंगे। यहां अस्पताल, क्लीनिक और स्वास्थ्य केंद्र जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी। टाउनशिप में मॉल, सुपरमार्केट, शॉपिंग सेंटर, पार्क, खेल के मैदान, मनोरंजन केंद्र और बैंक, पोस्ट ऑफिस, लाइब्रेरी और धार्मिक स्थल भी बनाए जाएंगे। इस टाउनशिप में व्यावसायिक केंद्र, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों को भी शामिल किया जा सकता है।

बैठक में 36 लाख की लागत से करीब 80 हजार फाइलों की क्षमता वाले नवीन रिकॉर्ड रूम का लोकार्पण किया गया। अब कुल रिकॉर्ड संग्रह क्षमता 255266 फाइलों की हो गई है। वर्ष 2005 तक की फाइलों को स्कैन कर डिजिटल रूप में संरक्षित किया जा चुका है। अब 2005 के बाद की फाइलों की बारकोडिंग और स्कैनिंग होगी। ये आधुनिक सुविधा से युक्त नवीन रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रखी जाएंगी। इसके साथ ही सिटीजन एप और कंपलेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल (सीएमएस) का लोकार्पण भी किया गया। इसके जरिये नागरिक अपनी शिकायत ऑनलाइन कहीं से भी दर्ज करा सकेंगे। बैठक में वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कमिश्नर एस राजलिंगम, डीएम सत्येंद्र कुमार, बोर्ड के नामित सदस्य प्रदीप अग्रहरि, अंबरीष सिंह भोला, साधना वेदांती का स्वागत किया। बैठक में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा मौजूद रहे।

पिंडरा में कृषि जमीन को मिश्रित में परिवर्तित करने को मंजूरी : मौजा-सिसवा, परगना-कोलअसला, तहसील-पिंडरा का भू-उपयोग वाराणसी महायोजना नगर-2031 (पुनरीक्षित) में कृषि से मिश्रित में परिवर्तन किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई।

वीडीए सभागार में सोमवार को बैठक करते मंडलायुक्त एस राजलिंगम, डीएम सत्येंद्र कुमार और वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग। संवाद

वीडीए के क्षेत्र में तैनात कर्मियों को मिलेगी वर्दी

वाराणसी। ट्रांसपोर्ट नगर योजना और राष्ट्रीय राजमार्ग-2 (एनएच-2) के मध्य मुख्य संपर्क मार्ग के निर्माण और ट्रांसपोर्ट नगर में प्रवेश के लिए जमीन खरीदने को मंजूरी मिली। राइट्स लिमिटेड को अनुबंधित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। क्षेत्र में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी नियमित कार्मिकों और आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में तैनात कर्मियों को ड्रेस/वर्दी दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। ब्यूरो

बड़ा लालपुर में बनेगा कम्युनिटी सेंटर

वाराणसी। प्रदेश सरकार बड़ा लालपुर में रहने वालों के लिए बड़ी सौगात देनी जा रही है। यहां रहने वाले लोगों के लिए अब अत्याधुनिक कम्युनिटी सेंटर बनने जा रहा है। इसमें मांगलिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा। यहां पुस्तकालय, रिटेल शॉप, रेस्तरां आदि की सुविधा होगी। ट्रेड फैसिलिटी सेंटर के सामने लगभग 25 करोड़ की लागत से कम्युनिटी सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है। इस सामुदायिक केंद्र के निर्माण से बड़ा लालपुर क्षेत्र में सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि बड़ा लालपुर में वीडीए की बड़ी आवासीय कॉलोनी है। आसपास के क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। कम्युनिटी सेंटर का निर्माण स्थानीय लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इससे क्षेत्रीय लोगों को एक छत के नीचे जरूरत की सभी सुविधाएं मिल सकें। इसके निर्माण से लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। 2500 वर्ग मीटर में 4 मंजिला कम्युनिटी सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है। इसकी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। ब्यूरो

: vcvdavns : Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज–दि0 10.06.2025

बड़ा लालपुर के लोगों को बड़ी सौगात देनी जा रही योगी सरकार

आमजन की हर जरूरतों को ध्यान में रख कर बनेगा अत्याधुनिक कम्युनिटी सेंटर

योगी सरकार बड़ा लालपुर में रहने वालों के लिए बड़ी सौगात देनी जा रही है। यहां रहने वाले लोगों के लिए अब अत्याधुनिक सामुदायिक केंद्र बनने जा रहा है। इस कम्युनिटी केंद्र में मांगलिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा। यहां पुस्तकालय, रिटेल शॉप ,रेस्तरां आदि की सुविधा होगी। ट्रेड फैसिलिटी सेंटर के सामने लगभग २५ करोड़ की लागत से कम्युनिटी सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है। इस सामुदायिक केंद्र के निर्माण से बड़ा लालपुर क्षेत्र में सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी, स्थानीय नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त होंगी, उनके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। यह जानकारी देते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि बड़ा लालपुर में वीडीए की बड़ी आवासीय कालोनी है। आसपास के क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। कम्युनिटी सेंटर का निर्माण स्थानीय लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय लोगों को एक छत के नीचे जरूरत की सभी सुविधाएं मिल सकें। इसके निर्माण से लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। २५०० वर्ग मीटर में चार मंजिल कम्युनिटी सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है। इसकी टेंडर प्रक्रिया चल रही है।

कम्युनिटी सेंटर में उपलब्ध सुविधाएं

मांगलिक ,सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अत्याधुनिक बैंक्वेट हॉल के साथ चार से पांच कमरे होंगे। किताबों की उपलब्धता और डिजिटल संसाधनों के साथ सार्वजनिक पुस्तकालय, रीडिंग जोन आदि की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही बैंक की शाखा एवं एटीएम, कमर्शियल एरिया, रिटेल शॉप , रेस्टोरेंट ,कॉफी शॉप आदि मेडिकल क्लिनिक-प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा क्लिनिक -अत्याधुनिक तकनीक और सुविधा- वर्षा जल संचयन प्रणाली ,सौर ऊर्जा ,अपशिष्ट प्रबंधन और रीसाइक्लिंग प्रावधान होगा।

आज–दि0 10.06.2025

गंजारी में बनेगी टाउनशिप

बिना अनुमति संपति हस्तांतरण पर लगेगा अर्थदण्ड, बेसमेंट में बन सकेगा शौचालय, कार्यालय

राजातालाब क्षेत्र के गंजारी में टाउनशिप बनेगी। भवनों मल्टिस्टोरी

बिल्डिंग के बेसमेंट में अब कार्यालय वं शौचालय बनाया जा सकेगा। सोमवार को मण्डलायुक्त एवं प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष एस राजलिंगम की अध्यक्षता में वाराणसी विकास प्राधिकरण की १३३वीं बोर्ड बैठक में इसको मंजूरी मिल गयी। इसके साथ ही बिना अनुमति सम्पत्ति हस्तांतरण पर अर्थदण्ड का प्रस्ताव ट्रांसपोर्ट नगर योजना के लिए मुख्य सम्पर्क मार्ग, निर्माण एवं भूमि क्रय के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी गयी। इस बैठक में राइट्स लिमिटेड को डीपीआर, पीएमसी एवं अन्य निर्माण सेवाओं के लिए अनुबन्ध, चतुर्थ श्रेणी एवं आउटसोर्स कर्मियों के लिए ड्रेस वर्दी की व्यवस्था, सिसवा गांव में भूमि उपयोग में कृषि से मिश्रित में परिवर्तन करने तथा भटौली शिवपुर क्षेत्र में नर्सिंग ट्रेनिग संस्थान के मानचित्र की स्वीकृति दी गयी। इससे पूर्व वीडीए में ३६ लाख की लागत से बने ८० हजार फाइलों की क्षमता वाले नवीन रिकार्ड रूम का लोकार्पण किया गया। वर्ष २००५ तक की फाइलोंका डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। शेष फाइलोंको बारकोडिंग के साथ संरक्षित किया जायगा।

एप पर करा सकेंगे शिकायत दर्ज

आमजन अब किसी भी स्थान से शिकायत दर्ज करा सकेंगे। उन्हें अब वीडीए कार्यालय में आना नहीं पड़ेगा। आमजन सिटीजन एप एवं कम्प्लेट मैनेजमेंन्ट सिस्टम पोर्टल (सीएमएस) पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसका भी लोकार्पण किया गया। बैठक में जिलाधिकारी मत्येन्द्र कुमार, वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग, वीडीए सचिव वेदप्रकाश मिश्र, बोर्ड सदस्य प्रदीप अग्रहरी, अम्बरीशशाह भोला, साधना वेदांती सहित अन्य प्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 10.06.2025

वर्दी में दिखेंगे वीडीए के प्रवर्तन कर्मी

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण के पांचों जोन में अवैध निर्माण रोकने के लिए कुल 130 प्रवर्तन कर्मी लगाए गए हैं। इसमें 43 स्थायी सुपरवाइजर व चतुर्थ श्रेणी कर्मी हैं। इसके अलावा 87 आउटसोर्सिंग कर्मी। अवैध निर्माण रोकने के लिए लगाए गए प्रवर्तन कर्मियों की अक्सर शिकायतें मिलती है। शिकायत आने पर वीडीए कर्मी अपने को नहीं होने की बात करते हैं। सबसे अधिक आउटसोर्सिंग कर्मियों की शिकायतें आ रही है। कुछ कर्मी बाहरी लोगों को अपने स्तर पर रखकर काम कराते हैं। इसकी शिकायतें कई बार वीडीए अधिकारियों के पास पहुंची चुकी है।

इस तरह की लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए जोन के जोनल अधिकारी और अवर अभियंता को छोड़कर सभी प्रवर्तन कर्मियों को वर्दी में रखने का निर्णय लिया गया है। एक एजेंसी को वर्दी बनाने से पहले डिजाइन तैयार करने को कहा गया है। गर्मी और ठंड की दो-दो वर्दी प्रवर्तन कर्मियों को दी जाएगी।

एप लांच करते मंडलायुक्त एस राजलिंगम, डीएम सत्येंद्र कुमार, वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग

रिकार्ड रूम का लोकार्पण : विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि वीडीए के पास करीब ढाई लाख फाइलें हैं लेकिन पौने दो लाख फाइल रखने की व्यवस्था थी। 80 हजार और फाइलें सुव्यवस्थित रखने के लिए नया रिकार्ड रूम बनाया गया है। शिकायतों के निस्तारण के लिए सिटीजन एप लांच किया गया है। कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम एप भी लांच किया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को दर्ज करा सकता है। अधिकारी मानीटरिंग करने के साथ निस्तारण करेंगे। रिकार्ड रूप 36 लाख रुपये में बनाया गया है।

जुर्माना राशि हुई तीन गुना

अभी तक बेसमेंट में वाहन पार्किंग के अलावा कोई उपभोग नहीं किया जा सकता था लेकिन वीडीए बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुसार बेसमेंट में शौचालय और कार्यालय के लिए कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। विभिन्न योजनाओं में आवासीय भवनों व भूखंडों और व्यावसायिक संपत्तियों का वीडीए से अनुमति लिए हस्तांतरित कर दिया जाता था। इसकी जुर्माना राशि पांच हजार रुपये थी। अब छोटे प्लाट पर 10 हजार और बड़े प्लाट पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगेगा।

दैनिक जागरण–दि0 10.06.2025

25 करोड़ से बड़ा लालपुर में बनेगा सामुदायिक केंद्र

- आमजन की जरूरतों को ध्यान में रख कर बनेगा केंद्र, एक छत के नीचे सभी सुविधाएं
- मांगलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए होगा बैंक्वेट हाल और रूम

जागरण संवाददाता, वाराणसी : बड़ा लालपुर में रहने वालों को वाराणसी विकास प्राधिकरण बड़ी सौगात देने जा रहा है। वहां, वीडीए अत्याधुनिक सामुदायिक केंद्र बनने जा रहा है। केंद्र में मांगलिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करने में लोगों को आसानी होगी। इसके अलावा पुस्तकालय, रिटेल शाप, रेस्तरां आदि सुविधा होगी। करीब 25 करोड़ रुपये से सामुदायिक केंद्र का निर्माण प्रस्तावित है।

विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि बड़ा लालपुर में वीडीए की आवासीय कालोनी है। केंद्र का निर्माण स्थानीय लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जिससे एक छत के नीचे जरूरत की सभी सुविधाएं मिलें। 2500 वर्ग मीटर में चार मंजिल केंद्र का निर्माण प्रस्तावित है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इससे लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलने लगेगी।

सामुदायिक केंद्र पर ये सुविधाएं

- मांगलिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अत्याधुनिक बैंक्वेट हाल के साथ पांच कमरे।
- पुस्तकालय- किताबों की उपलब्धता और डिजिटल संसाधनों के साथ सार्वजनिक पुस्तकालय, रीडिंग जोन आदि
- बैंक की शाखा और एटीएम
- कमर्शियल एरिया, रिटेल शाप
- रेस्टोरेंट, काफी शाप
- मेडिकल क्लिनिक-प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा क्लिनिक
- वर्षा जल संचयन प्रणाली, सौर ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और नेट जीरो एनर्जी।

हिन्दुस्तान–दि0 10.06.2025

बनारस कोठी से वसूली को आरसी

वाराणसी। वरुणा किनारे बुद्ध विहार कॉलोनी में बनारस कोठी और होटल रिवर पैलेस के अधिष्ठाता के खिलाफ आरसी जारी की गई है।

अवैध निर्माण ध्वस्त करने के खर्च की वसूली के लिए वीडीए प्रशासन ने ₹4.06 लाख रुपये की आरसी जारी की है। वीडीए ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धाराओं के अंतर्गत दोनों होटलों को ध्वस्त किया था। इन होटलों के अधिष्ठाता मो. जाफर अली खां के नाम से यह आरसी जारी हुई है। वीडीए ने इनको 16 अगस्त 2024 तक राशि जमा करने का निर्देश दिया था, लेकिन जमा नहीं की गई।

न्यायाधीश–दि0 10.06.2025

वाविप्रा की 133वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न, गंजरी स्टेडियम के पास अर्बन टाउनशिप परियोजना को स्वीकृति

वाराणसी ।वाराणसी विकास प्राधिकरण की 133 वीं बोर्ड बैठक आयुक्त, वाराणसी मण्डल / अध्यक्ष, वा.वि.प्रा. की अध्यक्षता में सम्पनन हुई। उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा प्राधिकरण बोर्ड अध्यक्ष आयुक्त एस. राजलिंगम, जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार, बोर्ड के नामित सदस्यगण प्रदीप अग्रहरी, श्री अम्बरीष सिंह (भोला), श्रीमती साधना वेदांती को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। जिसके उपरांत बोर्ड के समक्ष प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण तथा बैठक का संचालन सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा किया गया।सचिव द्वारा विस्तार से चर्चा करते हुए विगत बैठकों में लिये गये निणर्यों के अनुपालन से बोर्ड को अवगत कराया गया। बोर्ड के समक्ष प्रस्तावित परियोजनाओं का खाका खींचा गया तथा अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई अनवरत जारी रहने के विषय में अवगत कराया गया। बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जिन्हें बोर्ड सदस्यों द्वारा अनेक बहुमूल्य सुझावों के साथ स्वीकृति / प्रस्तावित कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान किये गये, जिनमें मुख्य प्रस्ताव निमन्वत है। जनपद-वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निकट अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ग्राम-गंजारी, परगना-कसवार राजा, तहसील-राजातालाब, जनपद-वाराणसी में नई अर्बन टाउनशिप परियोजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी। जनपद वाराणसी में ट्रांसपोर्ट नगर योजना व राष्ट्रीय राजमार्ग-2 (NH-2) के मध्य मुख्य सम्पर्क मार्ग के निर्माण एवं ट्रांसपोर्ट नगर में प्रवेश हेतु आ0नं0 143मि., 144 व 145मि. को क्रय किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के निर्माण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु DPR/Design/Drawing/ PMC(Project Management & construction Supervision)/ TPQSC (Third Party Quality Surveillance Consultant) के लिये विशेषज्ञ एजेन्सी के रूप में राइट्स लिमिटेड को अनुबन्धित करने का प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी। क्षेत्र में 'कार्यरत चतुर्थ श्रेणी नियमित कार्मिकों' एवं 'आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत तैनात कार्मिकों को पहचान हेतु ड्रेस / वर्दी दिये जाने का प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी। भारत सरकार की एम्पस for Special Assistance to State for Capital Investment 2024-25 की गाइड-लाइन्स में वर्णित रिफार्म्स को लागू कराये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) के प्रस्तर-3.5.1 प्रस्तर-3.4.4 एवं प्रस्तर-1.2 में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी।बेसमेण्ट के अन्तर्गत शौचालय अनुमन्य किये जाने तथा मूल बेसमेन्ट की भॉति एक्सटेन्डेड बेसमेन्ट में भी समान तरह का प्रयोजन (वाणिज्यिक एवं कार्यालय) अनुमन्य किये जाने हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2023) के अध्याय-3.9 में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी। वाराणसी विकास प्राधिकरण की विभिनन योजनाओं में आवासीय भवनों / भूखण्डों व व्यावसायिक सम्पत्तियों को प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त किये बिना आवण्टी द्वारा किसी अन्य को विक्रय / हस्तान्तरित किये जाने की दशा में आरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड के सम्बन्ध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी। आराजी नं0-787/3, रकबा 0.125 हे0, ग्राम/मौजा-सिसवा, परगना-कोलअसला, तहसील-पिण्डरा, वाराणसी का भू-उपयोग वाराणसी महायोजना नगर-2031 (पुनरीक्षित) में 'कृषि' से 'मिश्रित' में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी। आराजी संख्या-44 व 55, मौजा-भटौली, परगना अठगाँवा, तहसील-पिण्डरा, वार्ड-शिवपुर, वाराणसी के अन्तर्गत 'नर्सिंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट के मानचित्र को प्राधिकरण बोर्ड से स्वीकृति हेतु अनुमति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी ।बैठक में वाराणसी विकास इप्राधिकरण बोर्ड के नामित सदस्यगण प्रदीप अग्रहरी, अम्बरीष सिंह (भोला), श्रीमती साधना वेदांती, प्राधिकरण बोर्ड अध्यक्ष आयुक्त एस. राजलिंगम, जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार, उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग एवं अन्य बोर्ड सदस्यों / प्रतिनिधियों तथा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय एवं बोर्ड सदस्य द्वारा अनेक बहुमूल्य निर्देश एवं सुझाव प्रदान किये गए।अंत में उपाध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों को स्मृति चिन्ह देकर धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त की गई।